

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ4(ई)(आर-2260 / 2013) / अलेसे-III / 215

दिनांक:- 10/05/22

आदेश संख्या: 587/2022-23

श्री राकेश कुमार रैगर, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं० 12234) कार्यालय आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर के विरुद्ध एफ.आई.आर. संख्या 416/20 थाना चाकसू, जयपुर में दर्ज होने पर न्यायिक अभिरक्षा में रखने के परिणामस्वरूप विभागीय आदेश क्रमांक 6196 दिनांक 05.11.2020 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियम 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में दिनांक 10.10.2020 से निलम्बित किया गया था।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), जयपुर के पत्रांक 4817-19 दिनांक 08.03.2022 के अनुसार अनुसंधान मुलजिम श्री राकेश कुमार रैगर, कनिष्ठ लेखाकार पुत्र श्री प्रभात रैगर के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं होने के कारण धारा 169 सी.आर.पी.सी. के तहत माननीय न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। जिसके क्रम में अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 19 जयपुर महानगर, प्रथम (चाकसू) के निर्णय दिनांक 31.03.2022 के अनुसार श्री राकेश कुमार रैगर, के पक्ष में धारा 169 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर किसी प्रकार के अपराध का संज्ञान नहीं लेने के फलस्वरूप श्री राकेश कुमार रैगर, कनि. लेखाकार को निलम्बन से बहाल किया जाकर इनका पदस्थापन महानिदेशक, गृह रक्षा, गृह विभाग, जयपुर-7000056 में किया जाता है।

निलम्बन काल को पेंशन सहित समस्त प्रयोजनार्थ सेवा-काल माना जायेगा तथा नियमानुसार वेतन एवं भत्ते दिये होंगे।


(भूपेश माथुर)

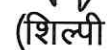
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ4(ई)(आर-2260 / 2013) / अलेसे-III / 815

दिनांक:- 10/05/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर।
2. कोषाधिकारी, ग्रामीण जयपुर।
3. महानिदेशक, गृह रक्षा, गृह विभाग, जयपुर-7000056
4. श्री राकेश कुमार रैगर, कनिष्ठ लेखाकार मुख्यालय कोषाधिकारी, ग्रामीण जयपुर।
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)।
6. निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)